

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक

संचिका सं0-17/विविध2-07/2014/स्वा0, डा0 शिव कुमारी प्रसाद, प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविधालय, पटना के दिनांक 31.03.2018 के अपराहन में वार्धक्य सेवानिवृति के फलस्वरूप डा0 रामजी प्रसाद सिंह, प्राध्यापक, एनाॅटमी विभाग, नालन्दा चिकित्सा महाविधालय, पटना को अंतरिम व्यवस्था के तहत दिनांक 01.04.2018 के प्रभाव से नियमित पदस्थापन होने तक प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविधालय, पटना के पद का प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है ।

2. डा0 सिंह को वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 - 9262 दिनांक 01.10.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 नियम-84 के अन्तर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करते हुए वित्तीय समस्याओं के निराकरण हेतु नियमित पदस्थापन होने तक वित्तीय शक्ति प्रदान की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक - 17/विविध2-07/2014- 216 (17) पटना, दिनांक - 31.03.18 .

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / अवर सचिव वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि - प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविधालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि - डा0 रामजी प्रसाद सिंह, प्राध्यापक, एनाटमी विभाग, नालनदा चिकित्सा महाविधालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ संयुक्त सचिव (डा0 करुणा कुमारी)/ प्रशाखा पदाधिकारी - प्रशाखा- 01,02, 08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना - 7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


31/3/18

सरकार के विशेष सचिव